

उत्तराखण्ड शासन  
राजस्व अनुभाग-1  
संख्या- 51 / XVIII(1)/2016-02(14)/2014  
देहरादून: दिनांक: 12 अगस्त, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला नैनीताल में "खनस्पू" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "ओखलकाण्डा" ज्ञात नाम से एक नई तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील धारी की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नवसृजित तहसील ओखलकाण्डा में सम्मिलित तहसील धारी के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	क्वैराला	चौगढ़
2.	गलनी	
3.	टीमर	
4.	काला आगर	
5.	चमोली	
6.	बड़ौन	
7.	रीखाकोट	
8.	ब्यूरा	गरगड़ी
9.	झड़गांव तल्ला	
10.	झड़गांव मल्ला	
11.	गरगड़ी तल्ली	
12.	गरगड़ी मल्ली	
13.	आम	
14.	ककोड़	
15.	कौन्ता	
16.	सालओड़	
17.	पटरानी	
18.	हैड़ाखान	भद्रकोट

M

19. तुषराड
20. देवली
21. भद्रकोट
22. पंश्या
23. पुटपुडी
24. कौडार
25. कोटली
26. भनपोखरा
27. पोखरी तल्ली
28. पोखरी मल्ली
29. डालकन्या
30. हत्यारीताल
31. भद्रेठा
32. मटेला
33. ल्वाड डोबा
34. पोखरीचक सैडयूला
35. गौनियारो
36. पैटना
37. ओखलकाण्डा मल्ला
38. ओखलकाण्डा तल्ला
39. जमराडी
40. टकुरा
41. करायल
42. रैकुना
43. खनस्यू
44. बगौर
45. रमैलागांव
46. सुरंग
47. सुई
48. टांडा
49. सलकपार
50. अधौडा
51. कुण्डल
52. सलकवार
53. डुंगरी
54. पदमपुर
55. सुवाकोट पोखरी
56. डुंगरीचक ककस्वाड
57. अमजड

गौनियारो

विशज्यूला

पदमपुर

आज्ञा से,

(डी०एस० गब्याल)  
सचिव

संख्या- /XVIII(1)/2016 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्वाल)  
सचिव

संख्या-51(2)/XVIII(1)/2016 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव